अपील/एलआर/2260/2006/जिला कोटा
चन्द्रप्रकाश बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
05.05.2026	एकल–पीठ श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य उपस्थित :– श्री नरेन्द्र गुप्ता, विद्वान अभिभाषक अपीलांट। श्री शिवप्रकाश चौधरी, उपराजकीय अभिभाषक। आदेश 1 हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–01–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 दिनांक 07.04.2006 प्रस्तुत किया है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेजात लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां होने तथा अपील के सम्यक निर्णयन में सहायक होने से प्रस्तुत दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिये जाते हैं। 2 अपील ज्ञापन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार लाड़पुरा ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के सबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24–06–2002 से स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–01–2006 के द्वारा खारिज कर दी, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। 3 विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण ने साबिक खसरा नम्बर 1/962 की 4 बिस्वा भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 22/669 तथा क्षेत्रफल 0.02 हैक्टर हैं, यह भूमि पूर्व खातेदार श्री जमनालाल से दिनांक 13.8.1970 से विक्रय संलेख से खरीदी थी। खरीद की तारीख से ही यह भूमि अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में चली	

आ रही हे तथा भू प्रबन्ध विभाग ने भी परिशोधन पत्र तस्दीक करते हुए पंजीकृत विक्रय संलेख के आधर पर अपीलार्थीगण के खाते में दर्ज किया है जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। अपीलार्थीगण का निवेदन है कि भूमि खरीद के बाद गत 33 वर्षों से अपीलार्थीगण इस भूमि के काबिज खातेदार हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में गलती की है। उनका निवेदन है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित किया था। इस प्रकार अधीनस्थ विचारण न्यायालय का आदेश स्पष्टतः विधि विरूद्ध व मनमाना है जिसे अपास्त किया जाना चाहिए था। अपीलीय न्यायालय ने भी इन तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलार्थी की अपील खारिज कर विधिक त्रुटि कारित की है। अन्त में उन्होनें अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया।

4 उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि भू–प्रबंध के ठीक पहले यह वादग्रस्त आराजी सिचायचक दर्ज थी। सेटलमेंट को इस आराजी को अपीलार्थीगण के खाते में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किये है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिसमें किसी प्रकार की तात्विक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अद्योपांत अवलोकन व अध्यन किया गया।

6 पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार लाड़पुरा ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के सबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24–06–2002 से स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–01–2006 के द्वारा

खारिज कर दी, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा ने तहसीलदार लाड़पुरा के प्रार्थना पत्र पर वादग्रस्त आराजी को पूर्ववत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर राजकीय मिल्कियत सरकार आबादी दर्ज करने का आदेश पारित किया है। अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को इस आधार पर खारिज किया है कि भू प्रबंध से ठीक पहले खसरा संख्या 1/962 की 4 बिस्वा भूमि आबादी मिल्कियत सरकार दर्ज थी तथा भू प्रबंध विभाग ने उक्त आराजी को बिना किसी सक्षम आदेश के अपीलार्थीगण के खाते में दर्ज कर दी। अपीलार्थी द्वारा केवल एक पंजीकृत विक्रय विलेख की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें कांटछांट है तथा उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख में विशिष्ठ रकबे के बेचान का उल्लेख भी नहीं है। उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख के साथ एक नक्शा भी प्रस्तुत किया गया जो किसी विभाग द्वारा जारी की गई है इसका भी उल्लेख नहीं है। अपीलार्थीगण ने संभवत अपने हाथ से ही बनाकर संलग्न किया गया हो। उपरोक्त दस्तावेज अपीलार्थीगण के प्रकरण को संदेहास्पद बनाते है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को दो बार नोटिस जारी किये हैं। दोनों नोटिस तामिल नहीं होने से उनका नोटिस कोटा के दैनिक अखबार में प्रकाशित करवाया गया है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण की अपील में उठाये गये समस्त तथ्यों का सम्पूर्ण विवेचन व विषलेश्ण करते हुए अपील को खारिज किया है।

7 हस्तगत अपील एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी जमाबंदी संवत् 2032-35 में आराजी राज आबादी दर्ज थी। दौराने सेट्लमेंट बिना किसी सक्षम आदेश के वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण के खाते में दर्ज कर दी गई। जमाबंदी संवत 2032-35, मिलान क्षेत्रफल व भू-प्रबंध जमाबंदी संवत 2038-57 के अवलोकन से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि विवादित आराजी भू-प्रबंध से ठीक पहले मिल्कियत सरकार गै0मु0 आबादी दर्ज थी जिसे भू-प्रबंध के दौरान बिना किसी आधार व सक्षम आदेश के अपीलार्थी के खाते में दर्ज कर दी गई। सेट्लमेंट को दौराने सेट्लमेंट से पूर्व इंद्राज को ही दोहराना होता है। बिना किसी सक्षम आदेश के सेट्लमेंट को राजस्व रिकोर्ड में इंद्राज परिवर्तन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने

अपीलार्थी की अपील खारिज की है तथा उपखंड अधिकारी कोटा का निर्णय विधिसम्मत माना है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने अपील प्रार्थनापत्र में अथवा सबंधित राजस्व रिकोर्ड के आधार पर दौराने बहस ऐसा कोई बिन्दु नहीं उठाया है जिससे यह स्पष्ट हो कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित की गई हो।

8 उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18-01-2006 एवं उपखंड अधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 24-06-2002 में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उक्त आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य हैं।

9 परिणामतः हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य